न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 45/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. झाबरमल पुत्र सेडूराम जाति जाट निवासी नरसा की ढाणी तन बुच्यासी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर। —वादी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. रामेश्वर लाल पुत्र सेडूराम
3. अर्जुनलाल } पुत्रगण गणेशराम
4. हरिसिंह
5. हरफुलसिंह
6. प्रेमचन्द पुत्र बालूराम
7. मोहरीदेवी पत्नि बालूराम

जाति जाट निवासीगण नरसां की ढाणी तन बुच्चासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. **श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील वादी की ओर सें।**

नि र्ण य दिनांक — 08.09.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 109, 110, 128, 130, 133, 161, 162, 163, 168, 169, 170, 261, 166 किता 13 कुल रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बुच्चासी पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है। उपरोक्त कृषि भूमियां के सैटलमैन्ट के दौरान नये खसरा नम्बर 213, 214, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 249/738, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270, 271, 272, 330, 331, 332, 333, 334, 543 कुल किता 32 कुल रकबा 11.54 है0 वाके ग्राम बुच्चासी पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर नव सृजित हुए है। अब लिखमा का बास पटवार हल्का कार्यालय संचालित हो जाने से उक्त भूमियां लिखमा का बास पटवार हल्का में है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड सम्वत 2035 से पहले की खातेदारी मे प्रार्थी के दादा मंगलाराम पुत्र डूंगा के नाम हिस्सा सवा पांच आना दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा है तथा इसी अनुसार मौके पर भी कब्जा काश्त हिस्सा सवा पांच आना के अनुसार ही प्रार्थी के दादा मंगलाराम का रहा है। परन्तु

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

इसके बाद के राजस्व रिकार्ड में आवेदक के दादा मंगलाराम का हिस्सा सवा पांच आना के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों, अधिकारियों की भूलवंश या संहवन से हिस्सा सवा पांच आना दर हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के दादा मंगलाराम पुत्र डूंगा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिशान वादी व अन्य है जिसके नाम विरासत की भी दर्ज हो चुकी है एवं अब उक्त हिस्सा सवा पांच आना की दुरूस्ती उक्त खातेदार मंगलाराम के वारिशान के नाम से दर्ज हिस्से में होनी है। इस संबंध में प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहां एक प्रार्थना पत्र रिकार्ड शुद्धिकरण करवाने बाबत दिनांक 10.07.2017 को पेश किया जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट लेकर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का मामला नहीं मानकर माननीय न्यायालय से दुरूस्ती करवाने की हिदायत दी है। उक्त त्रुटि को सम्वत् 2035 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त कर सही करवाया जाना अति आवश्यक है। वाद कारण अरसा करीब 10-12 रोज पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्त कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादी के दादा मंगलाराम के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा बाबत दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 109, 110, 128, 130, 133, 161, 162, 163, 168, 169, 170, 261, 166 किता 13 कुल रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बुच्चासी पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जिनके नये खसरा नम्बर 213, 214, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 249/738, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270, 271, 272, 330, 331, 332, 333, 334, 543 कुल किता 32 कुल रकबा 11.54 है0 वाके ग्राम बुच्चासी पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा मंगलाराम पुत्र डुंगा का हिस्सा सवा पांच आना दर हिस्सा 1/4 को दुरूस्त कर सम्वत 2035 से पहले के रिकार्ड के अनुसार ही हिस्सा सवा पांच आना संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी के दादा मंगलाराम पुत्र डूंगा का हिस्सा सवा पांच आना दर हिस्सा 1/4 को दुरूस्त कर सम्वत 2035 से पहले के रिकार्ड के अनुसार ही हिस्सा सवा पांच आना संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि बुच्चासी के ख0नं0 213, 214, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 249/738, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270, 271, 272, 330, 331, 332, 333, 334, 543 कुल किता 32 कुल रकबा 11.54 है0 की पुराने रिकार्ड से जांच की गई संवत् 2032–2035 जमाबन्दी के अनुसार खातेदारी निम्न प्रकार से दर्ज है खुशला, शम्भू, बेगाराम पिता दोलाराम हि0 1/4 चतरा पिता देवा हि0 1/4 ईसरा पुत्र बालू हि0 1/4 नारायण लिछमण पिता मुन्ना हि0 1/4 दर हिस्सा 5.5 आना ईशर पुत्र गंगा मंगला पुत्र डूंगा हिस्सा 10.5 आना जाति जाट सा0 देह खातेदार संवत् 2036–2039 जमाबंदी के अनुसार खातेदारी निम्न प्रकार हो गई कुशला शम्भू बेगाराम पिता दोलाराम हि0 1/4 मांगू भूदा मंगलचन्द खेमाराम बिरमा पिता चतरा हि0 1/4 ईशरा पुत्र बालू हिस्सा 1/4 नारायण लिछमण पिता मुन्ना दर हि0 1/4 में 5.5 आना कजोड़ बल्भा दूला काना पिता ईशरा हि0 5.25 आना मंगला पुत्र डूंगा हि0 5.25 आना दर हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार जमाबंदी संख्या 2036–2039 की खातेदारी के अनुसार अंत में दर हि0 1/4 सहवन से दर्ज हो गया है जिसके फलस्वरूप आज दिनांक तक उपरोक्त खंसरा नम्बर हिस्सा गलत दर्ज है की रिपोर्ट प्रेषित है।'' वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बुच्चासी पटवार हल्का लिखमा का बास तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 213, 214, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 249/738, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270, 271, 272, 330, 331, 332, 333, 334, 543 कुल किता 32 कुल रकबा 11.54 है0 में खातेदार वादी के दादा मंगलाराम पुत्र डुंगा का हिस्सा सवा पांच आना दर हिस्सा 1/4 को दुरूस्त कर सम्वत 2035 से पहले के रिकार्ड के अनुसार ही हिस्सा सवा पांच आना संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिकी जारी हो।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

झाबरमल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 08.09.2020

मुकदमा नं0 45 / दावा सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्र सिंह रणवां** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बुच्चासी पटवार हल्का लिखमा का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 213, 214, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 249 / 738, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270, 271, 272, 330, 331, 332, 333, 334, 543 कुल किता 32 कुल रकबा 11.54 है0 में खातेदार वादी के दादा मंगलाराम पुत्र डुंगा का हिस्सा सवा पांच आना दर हिस्सा 1 / 4 को दुरूस्त कर सम्वत 2035 से पहले के रिकार्ड के अनुसार ही हिस्सा सवा पांच आना संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.09.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़